रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062021-227442
CG-DL-E-10062021-227442

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2048] नई दिल्ली, बुधवार, जून 9, 2021/ज्येष्ठ 19, 1943
No. 2048] NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 9, 2021/JYAISTHA 19, 1943

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(भारी उद्योग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 जून, 2021

का.आ. 2208(अ).—भारत में गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण सुविधाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम, राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम

1. पृष्ठभूमि

1.1 उन्नत रसायन सेल नई पीढी की उन्नत ऊर्जा भंडारण प्रौद्योगिकियां हैं जो विद्युत ऊर्जा को विद्युत-रासायनिक अथवा रासायनिक ऊर्जा में और आवश्यक होन पर पुनः विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर सकती हैं।

1.2 एकीकृत बैटरी मूल्य को मोटे तौर पर बैटरी पैक और एसीसी के रूप में विभक्त (बिक्री छोर पर) किया जा सकता है। कई कंपनियों ने बैटरी पैक असेम्बली के लिए भारत में पहले ही निवेश प्रारम्भ कर दिया है, किंतु वैश्विक औसत की तुलना में इन केंद्रों की क्षमताएं बहुत कम हैं। भारत में एसीसी के लिए विनिर्माण में निवेश और समग्र मूल्य संवर्द्धन अब भी नगण्य है। इसीलिए अब भी एसीसी की लगभग समग्र घरेलू मांग आयात से पूरी की जा रही है।

1.3 इस स्कीम के माध्यम से, भारत सरकार का आशय संभावित निवेशकों (घरेलू और विदेशी- दोनों) को ईष्टतम प्रोत्साहन देना है ताकि ऐसे गीगा स्केल एसीसी विनिर्माण केंद्र स्थापित किए जा सकें जिनमें अधिकतम मूल्य संवर्द्धन हो और गुणवत्तापरक उत्पाद मिल सकें तथा पूर्व-निर्धारित समयावधि के भीतर ही प्रतिबद्ध क्षमता स्तर को प्राप्त किया जा सके।

1.4 पारंपरिक बैटरी पैक उद्योग के लिए प्रोत्साहन प्रदान नहीं किया जाएगा क्योंकि यह भारत में पहले ही से जारी है।

1.5 उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम—राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम को उत्तरवर्ती पैराग्राफों में उल्लिखित मानदंडों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुमोदन से तैयार किया गया है।

2. स्कीम मानदंडः एसीसी प्रौद्योगिकी

2.1 इस स्कीम में एसीसी और एकीकृत उन्नत बैटरियां (एकल इकाई) शामिल हैं जो अधोलिखित (छायांकित) अनुसार न्यूनतम निष्पादन विनिर्देशों को पूरा करती हैं:

एसीसी		ऊर्जा घनत्व (वाट घंटा/किलोग्राम) ~ (विशिष्ट घनत्व)				
		≥ 50	≥ 125	≥ 200	≥ 275	≥ 350
चक्र जीवन	<1000	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	अनुप्रयोज्य नहीं	एसीसी (1/5)
	≥ 1000				एसीसी (2/4)	एसीसी (2/5)
	≥ 2000			एसीसी (3/3)	एसीसी (3/4)	एसीसी (3/5)
	≥ 4000		एसीसी (4/2)	एसीसी (4/3)	एसीसी (4/4)	एसीसी (4/5)
	≥ 10000	एसीसी (5/1)	एसीसी (5/2)	एसीसी (5/3)	एसीसी (5/4)	एसीसी (5/5)

प्रौद्योगिकीय रूप से, यह स्कीम अज्ञेयवादी होगी।

3. स्कीम की मुख्य विशेषताएं:

3.1 इस स्कीम में एसीसी के लिए पचास (50) गीगावाट घंटे की संचयी एसीसी विनिर्माण क्षमता और आला एसीसी प्रौद्योगिकियों के लिए 5 गीगावाट घंटे की अतिरिक्त संचयी क्षमता स्थापित किया जाना अभिकल्पित है।

3.2 प्रोत्साहन केवल ऐसे प्रतिष्ठानों (एतदुपरांत लाभार्थी प्रतिष्ठान के रूप में सदर्भित) को दिए जाएंगे जिन्हें उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत एसीसी उत्पादन क्षमता (सभी लाभार्थी प्रतिष्ठानों के लिए संचयी क्षमता समेकित रूप से 50 गीगावाट घंटा) का काम पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से, प्रस्ताव अनुरोध आमंत्रित कर आवंटित किया गया हो। लाभार्थी प्रतिष्ठान को न्यूनतम पांच (5) गीगावाट घंटे का एसीसी विनिर्माण केंद्र स्थापित करने का वचन देना होगा। सरकार द्वारा संवितरित की जाने वाली कुल वार्षिक नकदी अधिकतम 20 गीगावाट घंटा प्रति लाभार्थी प्रतिष्ठान होगी।

3.3 एसीसी की 50 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता के अतिरिक्त, उच्च निष्पादन वाली 5 गीगावाट घंटे की संचयी क्षमता वाली **आला एसीसी प्रौद्योगिकियां** उपलब्ध कराई जाएंगी जिनकी थ्रेशहोल्ड क्षमता 500 मेगावाट घंटा होगी। यह पहल भी प्रौद्योगिकी की दृष्टि से अज्ञेयवादी होगी। पात्रता के लिए एकमात्र पूर्वापेक्षा उच्च निष्पादन मानदंड की होगी।

3.4 आरएफपी के अंतर्गत लाभार्थी प्रतिष्ठान द्वारा यथाप्रस्तावित विनिर्माण केंद्र को 2 वर्ष के भीतर कार्यान्वित करना होगा। तदुपरांत सब्सिडी 5 वर्षों की अवधि के लिए दी जाएगी।

3.5 लाभार्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि न्यूनतम 25 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्द्धन हो तथा 2 वर्ष (मूल इकाई स्तर) के भीतर अनिवार्य निवेश (225 करोड़ रूपए/गीगावाट घंटा) हो जाए जिसे 5 वर्ष के भीतर मूल इकाई के स्तर पर (एकीकृत इकाई के मामले में) अथवा परियोजना स्तर पर ["हब और स्पोक" स्ट्रक्चर बढ़ाकर (परियोजना)] 60 प्रतिशत घरेलू मूल्य संवर्धन किया जाएगा, जैसा भी प्रस्ताव अनुरोध (आरएफपी) में विनिर्दिष्ट हो।

3.6 संभावित निवेशकों के लिए एकल-वातायन तंत्र सुनिश्चित करने हेतु राज्य-स्तरीय महाचुनौती की शुरुआत की जाएगी जिसमें बाधारहित भूमि, ट्रंक अवसंरचना केंद्रों, संभावित निवेशकों को उचित दर पर बिजली के भी प्रावधान शामिल होंगे ताकि राज्यों के लिए परियोजनाओं को आकर्षित किया जा सके।

4. **स्कीम मानदंडः लाभार्थी चयन**

4.1 पात्रता मानदंड को आरएफपी में विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

4.2 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को आवंटन का कार्य एक पारदर्शी गुणवत्ता और लागत-आधारित चयन (क्यूसीबीएस) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा जिसमें "दो-एनवेलप" प्रणाली शामिल होगी जिसके लिए तकनीकी बोली और वित्तीय बोली लगाई जाएगी। कुल क्षमता तथा मूल्य संवर्द्धन लक्ष्यों सहित तकनीकी मानदंडों के लिए संबंधित मान आवंटित किए जाएंगे जिनमें कुल क्षमता और मूल्य संवर्धन लक्ष्य तथा आरएफपी में विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदंडों के अंतर्गत प्रार्थित आधारिक नकद-सब्सिडी (प्रति किलोवाट घंटा विक्रीत एसीसी) की राशि शामिल होगी।

5. **स्कीम मानदंडःलाभार्थी प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहन**

5.1 संवितरित की जाने वाली सब्सिडी राशि की गणना निम्नानुसार की जाएगीः

अनुप्रयोज्य सब्सिडी राशि प्रति किलोवाट घंटा x अवधि के दौरान प्राप्त मूल्य संवर्द्धन प्रतिशत x आरएफपी में यथाविनिर्दिष्ट उन्नत रसायन सेल की वास्तविक बिक्री (किलोवाट घंटे में)।

5.2 प्रतिबद्ध घरेलू मूल्य संवर्धन और एसीसी की वास्तविक बिक्री प्रारंभ होते ही प्रोत्साहन संवितरण प्रारंभ हो जाएगा।

5.3 लाभार्थी प्रतिष्ठान को संवितरित की जाने वाली नकद सब्सिडी राशि त्रैमासिक आधार पर संवितरित की जाएगी।

5.4 लाभार्थी प्रतिष्ठान के लिए वास्तविक सब्सिडी संवितरण एसीसी बिक्री मूल्य (निवल जीएसटी) अर्थात् विनिर्मित एसीसी की बिक्री की राशि के आधार पर कुल प्रभावी कारोबार (निवल जीएसटी) तथा आरएफपी में विनिर्दिष्ट किए जाने वाले प्रावधानों के अनुसार सब्सिडी संवितरण के दौरान लाभार्थी प्रतिष्ठान द्वारा की गई बिक्री की राशि की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत होगी।

5.5 स्कीम के अंतर्गत दावाकृत प्रोत्साहन भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण और विनिर्माण (हाइब्रिड तथा) इलेक्ट्रिक वाहनों का त्वरित अंगीकरण अथवा ऑटोमोबिल और ऑटो संघटकों के लिए (भारी उद्योग विभाग की) पीएलआई स्कीम के अंतर्गत दावा किए गए प्रोत्साहन से किसी भी रूप में वंचित/प्रतिबंधित नहीं करेगा, जहां एसीसी का उपयोग अंतिम उत्पाद के अंग के रूप में किया जा सकता है।

5.6 आरएफपी में यथाप्रस्तुत वायदों का उल्लंघन होने की स्थिति में आरएफपी में उपयुक्त दांडिक उपबंध किए जाएंगे ताकि विनिर्माताओं में वायदों के प्रति गंभीरता सुनिश्चित की जा सके।

6. **स्कीम मानदंडःनिधि आवंटन**

6.1 स्कीम की 5 वर्षों की अवधि के लिए कुल प्रोत्साहन भुगतान 18,100 करोड़ रुपए होगा.

6.2 स्कीम की अवधि के लिए वर्षवार निधि आवंटन का ब्यौरा नीचे तालिका में दर्शाया गया हैः

(समस्त राशि करोड़ रुपए में)

बजट प्रावधान	वित्त वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	कुल
	सब्सिडी (भारतीय करोड़ रूपए में)	विनिर्माण केंद्रों की स्थापना		2700	3800	4500	4300	2800	18100

7. सचिवों का अधिकार-प्राप्त समूह

7.1 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाला सचिव समूह पीएलआई स्कीम का अनुवीक्षण करेगा, स्कीम के अंतर्गत होने वाले व्यय की आवधिक समीक्षा करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कार्रवाई करेगा कि व्यय निर्धारित परिव्यय के दायरे में ही रहे। इसके अतिरिक्त, सचिवों के अधिकार-प्राप्त समूह को स्कीम के तौर-तरीकों में कोई भी अपेक्षित परिवर्तन करने के लिए पूरी तरह अधिकार-संपन्न होगा, बशर्ते समग्र वित्तीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए के दायरे में रहे।

8. अनुवीक्षण तंत्रः

लाभार्थी प्रतिष्ठान को प्रोत्साहन संवितरण अनुवीक्षण हेतु निम्नांकित मानदंडों को आधार माना जाएगाः

8.1 लाभार्थी प्रतिष्ठान द्वारा न्यूनतम उन्नत रसायन सेल ("एसीसी") विनिर्माण क्षमता: लाभार्थी प्रतिष्ठान एक विनिर्माण इकाई (एतदुपरांत मूल इकाई के रूप में संदर्भित) की स्थापना करेगी जिसमें एकल छत (सिंगल रूफ) संरचना के तहत दो साल के भीतर प्रति एसीसी गीगावाट घंटा प्रतिबद्ध क्षमता के साथ अनिवार्य निवेश सुनिश्चित होगा।

8.2 लाभार्थी प्रतिष्ठान अपनी बोली में प्रस्तुत प्रस्ताव के अनुसार प्रतिबद्ध एसीसी क्षमता और समग्र मूल्यवर्धन को लागू करेगा और इसके तहत 5 वर्षों के भीतर न्यूनतम सुपरिभाषित मूल्यवर्धन के साथ कम से कम 5 गीगावाट घंटे की एसीसी विनिर्माण सुविधा प्रदान करेगा।

8.3 लाभार्थी प्रतिष्ठान द्वारा मूल्यवर्धन को या तो स्वयं या सहायक इकाइयों के माध्यम से या घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से भारत में की जा रही विनिर्माण गतिविधि (विनिर्माण एसीसी) के प्रतिशत के रूप में माना जाएगा। विनिर्माताओं को दावों के समर्थन में इसे मान्य करने के लिए एक सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र देने के लिए कहा जाएगा। भारत में मूल्यवर्धन की गणना के लिए निम्नलिखित मानदंडों पर विचार किया जाएगा:-

(i) लाभार्थी प्रतिष्ठान द्वारा न्यूनतम मूल्य संवर्धन: सब्सिडी के संवितरण का पात्र होने के लिए, लाभार्थी प्रतिष्ठान 5 वर्षों के भीतर बेची जा रही एसीसी के कम से कम 60% का समग्र मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करेगा। लाभार्थी प्रतिष्ठान को 2 साल के भीतर एकल-छत संरचना के अंतर्गत, मूल इकाई में न्यूनतम 25% के मूल्य संवर्धन के साथ एसीसी असेंबली सुविधा स्थापना करनी होगी। लाभार्थी प्रतिष्ठान के लिए नकद-सब्सिडी संवितरण तब शुरू होगा जब लाभार्थी प्रतिष्ठान में एसीसी असेंबली सुविधा की स्थापना कर ले और मूल इकाई द्वारा मूल्य संवर्धन 25% की सीमा से अधिक हो। लाभार्थी प्रतिष्ठान मूल इकाई से तैयार एसीसी के व्यापार मात्र के लिए या कार्यक्रम के तहत निर्धारित अन्य शर्तों के अधीन पूर्वोक्त मानदंड को पूरा न करने पर प्रोत्साहन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

(ii) 6 अंकों के स्तर पर एचएसएन में बदलाव: न्यूनतम मूल्य वृद्धि क्रमश: पात्र इकाई, सहायक इकाई या घरेलू विनिर्माता द्वारा किए गए विनिर्माण कार्य के आधार पर एचएसएन (सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के अनुसार) छह अंकों के स्तर (विनिर्मित अंतिम उत्पाद के मुकाबले विनिर्माण कार्य के लिए क्रय की गई वस्तु) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानी चाहिए।

(iii) विनिर्माण की अंतिम प्रक्रिया भारत में की जाती है। "विनिर्माण" शब्द का संदर्भ केन्द्रीय वस्तु और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 2(72) से लिया जा सकता है। उक्त धारा के संदर्भ में, "विनिर्माण" का अर्थ है " कच्चे माल या इनपुट का किसी भी तरीके से प्रसंस्करण जिसके परिणामस्वरूप एक अलग नाम, विशेषता और प्रयोग वाला नया उत्पाद प्राप्त होता है।"

(iv) दूसरे शब्दों में, मूल्य वृद्धि के मानदंड को पूरा करने के लिए, उपरोक्त परिभाषा के संदर्भ में वस्तु का निर्माण किया जाना चाहिए। साथ ही, क्रमश: मूल इकाई, सहायक इकाईयों अथवा घरेलू विनिर्माता द्वारा सीमा शुल्क अधिनियम के अनुसार 6 अंकों के स्तर पर एचएसएन में बदलाव होना चाहिए।

(v) वस्तुओं (अर्थात एसीसी) के संबंध में मूल्यवर्धन (इसी तरह की प्रक्रिया केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या 01/2010-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, दिनांक: 06 फरवरी 2010 में निर्धारित की गई है) को उक्त वस्तु (एसीसी) के बिक्री मूल्य (रिटर्न, मूल्य समायोजन, छूट आदि का निवल) के लिए अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, यदि माल दर भुगतान किया गया

है, को "वास्तविक मूल्य वर्धित" के अनुपात के रूप में मूल्यांकित किया जाएगा। इसे भारत में अपनी या सहायक इकाइयों या घरेलू विनिर्माताओं के माध्यम से की जा रही विनिर्माण गतिविधि के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। "वास्तविक मूल्य वर्धित" की गणना निम्नलिखित फार्मूलों के अनुसार वित्तीय अभिलेखों (जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट किए गए टर्नओवर सहित) के आधार पर की जाएगी:

(क) उक्त वस्तुओं का बिक्री मूल्य (रिटर्न, मूल्य समायोजन, छूट आदि का निवल), वस्तुओं पर प्रदत्त अप्रत्यक्ष करों को छोड़कर, यदि कोई हो।

(ख) कम: उक्त वस्तुओं में (अर्थात विक्रीत वस्तु के अंतिम बिक्री मूल्य में) प्रयुक्त कच्चे माल और पैकिंग सामग्री की लागत की गणना आमतौर पर स्वीकृत लागत सिद्धांतों के अनुसार की जाएगी।

(ग) कम: सामग्री की लागत जिसका मूल स्त्रोत ज्ञात नहीं किया जा सकता (निर्धारित सीमा से परे)।

(घ) कम: खपत की गई ईंधन की लागत,यदि जीएसटी इनपुट क्रेडिट के लिए पात्र हो।

(ङ) कम: रॉयल्टी या तकनीकी जानकारी के लिए विदेशी मुद्रा में किए गए व्यय--आय विवरण में डेबिट किए गए अनुसार।

(च) जोड़: उक्त वस्तु का बिक्री मूल्य (रिटर्न, मूल्य समायोजन, छूट आदि का निवल) के कारण सहायक इकाईयों या घरेलू निर्माताओं द्वारा जोड़ा गया वास्वविक मूल्य।

(vi) सहायक इकाईयों या घरेलू विनिर्माताओं द्वारा संवर्द्धित वास्तविक मूल्य मूल इकाई द्वारा (मूल इकाई द्वारा वास्तविक संचयी मूल्यवर्धित की गणना के लिए) बिक्री (रिटर्न, मूल्य समायोजन, छूट आदि का निवल) के मुकाबले इन इकाईयों द्वारा "वास्तविक मूल्य संवर्द्धित" (उपरोक्त फार्मूले के अनुसार) है। सहायक इकाइयों या घरेलू विनिर्माताओं द्वारा वर्धित वास्तविक मूल्य का मूल्य (पूर्ण अर्थ में) संबंधित सहायक इकाई या घरेलू निर्माता से प्राप्त सांविधिक लेखा परीक्षक के प्रमाण-पत्र के आधार पर मान्य हो सकता है।

(vii) वैधानिक लेखा परीक्षक से प्रमाण-पत्र की आवश्यकता वहां नहीं होगी, जहां सहायक इकाई अथवा घरेलू विनिर्माता द्वारा मूल्यवर्धन, बिक्री मूल्य के मुकाबले मूल इकाई द्वारा विनिर्मित एसीसी (रिटर्न, मूल्य समायोजन, छूट आदि का निवल) की तुलना में (घरेलू विनिर्माताओं द्वारा वास्तविक संवर्धित मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिगणित के मुकाबले) मूल इकाई द्वारा विनिर्मित एसीसी की बिक्री लागत 2% से कम हो अथवा भारतीय मुद्रा में 200,000 रुपए (कुल राशि) हो, जो भी कम हो।

(viii) सहायक इकाइयों या घरेलू निर्माताओं द्वारा मूल्य वृद्धि को मान्य करने का निर्णायक उत्तरदायित्व लाभार्थी प्रतिष्ठान का होगा।

(ix) यदि अपेक्षित मूल्यवर्धन एक एकल एकीकृत इकाई में प्राप्त किया गया हो, तो भी स्वीकार्य होगा।

(x) इसके अतिरिक्त, जहां पात्र इकाई भी बैटरी पैक के निर्माण में लगी हुई हो और बिक्री के चरण तक उपरोक्त दृष्टिकोण के साथ मूल्यवर्धन निर्धारित नहीं किया जा सका हो, वहां परिगणित वर्धित मूल्य (उपरोक्तानुसार) के प्रतिशत को आरएफपी/बोली दस्तावेजों में उल्लिखित से घटा दिया जाना चाहिए। लाभार्थी प्रतिष्ठान भारत में उत्पादित कुल बैटरी मूल्य में बैटरी पैक के अंश से संबंधित जानकारी सरकार को प्रस्तुत करेगी।

9.1 चयनित लाभार्थी प्रतिष्ठान को निम्नलिखित दस्तावेजों और दावों के समर्थन में आवश्यक अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराने की आवश्यकता होगी:

क. वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए प्रमाण के तौर पर संबंधित उद्योगों के निदेशक द्वारा जारी दस्तावेज।

ख. खरीदी गई तैयार वस्तुओं की मात्रा और मूल्य को प्रमाणित करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र।

ग. बेची गई तैयार वस्तुओं (जैसे, एसीसी बैटरियां) के अंतिम मूल्य में प्रमुख घटकों के ब्यौरे को प्रमाणित करने वाला सांविधिक लेखा परीक्षक प्रमाण-पत्र। प्रमुख घटकों में वे सभी घटक शामिल होंगे जो इसी अवधि में 2% से अधिक (मूल

इकाई द्वारा निर्मित एसीसी बैटरी के बिक्री मूल्य की तुलना में घरेलू निर्माता द्वारा वर्धित वास्तविक मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिगणित) अथवा 2,00,000 रुपए (भारतीय) (सकल राशि) हो, जो भी कम हो।

घ. वित्तीय विवरणों और जीएसटी रिटर्न में रिपोर्ट की गई राशि की तुलना में विनिर्मित एसीसी, कारोबार, स्क्रैप के रूप में बिक्री, स्थानांतरित स्टॉक और प्रदत्त जीएसटी की मूल्य और गुणवत्ता की रिकांसिलिएशन को प्रमाणित करने के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक का प्रमाण-पत्र।

(ड़) संबंधित वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित खाता ।

(छ) कम्पनी के लिए संगत वित्त वर्ष हेतु जीएसटी लेखापरीक्षा रिपोर्ट ।

(ज) एसीसी की बिक्री के आशयित अंतिम उपयोग (श्रेणी मोबाइल और स्टेशनरी) का दावा करने के लिए लाभार्थी प्रतिष्ठान के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्व-प्रमाणन।

[फा.सं. 1(05)/2019-एईआई (19587)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY AND PUBLIC ENTERPRISES

(Department of Heavy Industry)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th June, 2021

S.O. 2208(E).—Production Linked Incentive (PLI) scheme, '**NATIONAL PROGRAMME ON ADVANCED CHEMISTRY CELL (ACC) BATTERY STORAGE**' for implementation of giga-scale ACC manufacturing facilities in India.

1. **Background:**

1.1 Advance Chemistry Cells (ACCs) are the new generation advance energy storage technologies that can store electric energy either as electrochemical or as chemical energy and convert it back to electric energy as and when required.

1.2 Integrated battery value can be broadly divided (at the sales end) into the battery pack and the ACCs. While several companies in India have already started investing in battery packs assembly, the capacities of these facilities are too small when compared to global averages. Investments in manufacturing and overall value addition for ACCs are still negligible in India. Hence almost entire domestic demand of ACCs is still being met through imports.

1.3 Through this Scheme, the Government of India intends to optimally incentivize potential investors, both domestic and overseas, to set- up Giga-scale ACC manufacturing facilities with emphasis on maximum value additionand quality output and achieving pre committed capacity level within a pre-defined time-period.

1.4 Incentive will not be offered to the conventional battery pack segment of the industry as it is already happening in India.

1.5 The Production Linked Incentive scheme, '**National Programme on Advanced Chemistry Cell (ACC) Battery Storage'** has been formulated with the approval of Union Cabinet as per the parameters given in the subsequent paragraphs.

2 Scheme Parameter: ACC Technology

2.1 The scheme covers ACCs and integrated advanced batteries (Single Units) that suffice the minimum performance specifications as provided hereunder (Shaded):

<table>
<tr><th colspan="2" rowspan="2">ACCs</th><th colspan="5">Energy Density (Wh/Kg) ~ (Specific Density)</th></tr>
<tr><th>≥ 50</th><th>≥ 125</th><th>≥ 200</th><th>≥ 275</th><th>≥ 350</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Cycle Life</td><td><1000</td><td rowspan="4">N.A</td><td rowspan="3">N.A</td><td rowspan="2">N.A</td><td>N.A</td><td>ACC (1/5)</td></tr>
<tr><td>≥ 1000</td><td>ACC (2/4)</td><td>ACC (2/5)</td></tr>
<tr><td>≥ 2000</td><td>ACC (3/3)</td><td>ACC (3/4)</td><td>ACC (3/5)</td></tr>
<tr><td>≥ 4000</td><td>ACC (4/2)</td><td>ACC (4/3)</td><td>ACC (4/4)</td><td>ACC (4/5)</td></tr>
<tr><td>≥ 10000</td><td>ACC (5/1)</td><td>ACC (5/2)</td><td>ACC (5/3)</td><td>ACC (5/4)</td><td>ACC (5/5)</td></tr>
</table>

Not Applicable ("N.A")

The scheme will be technologically agnostic.

3. Salient features of the Scheme:

3.1 The scheme envisages setting up of a cumulative ACC manufacturing capacity of fifty (50) GWh for ACCs and an additional cumulative capacity of (5) GWh for Niche ACC Technologies.

3.2 Incentives will be offered only to those firms (hereinafter called the "Beneficiary Firm") that have been allocated ACC production capacity (with cumulative capacity for all beneficiary firms combined together 50 GWh) under the said Programme through a transparent mechanism by inviting the Request for Proposal (RFP). The beneficiary firm will have to commit to set up minimum of five (5) GWh of ACCs manufacturing facility. The total annual cash subsidy to be disbursed by the Government will be capped at 20GWh per beneficiary firm.

3.3 In addition to 50 GWh of cumulative ACC capacity, 5GWh of cumulative capacity would be offered to **"Niche" ACC technologies** of higher performance with a minimum threshold capacity of500 MWh. This initiative would also be technologically agnostic. Only the higher performance parameters would be the pre requisite for being eligible.

3.4 The manufacturing facility as proposed by the beneficiary firm under the RFP would have to be commissioned within a period of 2 years. The subsidy will be disbursed thereafter over a period of 5 years.

3.5 The beneficiary has to ensure achieving a domestic value addition of at-least 25% and incur the mandatory investment (₹ 225 crore /GWh) within 2 Years (at the Mother Unit Level) and raise it to 60% domestic value addition within 5 Years, either at Mother Unit, in-case of an Integrated Unit, or at the Project Level, in-case of "Hub & Spoke" structure (the "Project"), as will be specified in the Request for Proposal (RFP).

3.6 To ensure a Single-Window mechanism for the potential investors, a state-level grand- challenge will be initiated, including provision for encumbrance-free land, trunk infrastructure facilities, power at rationale rate to the potential investors for attracting the Projects in their states.

4. **Scheme Parameter**: **Selection of beneficiaries**

4.1 The Eligibility Criteria will be specified in the RFP.

4.2 The allocation to beneficiary firms shall be carried out through a transparent Quality and Cost Based Selection ("QCBS") process which shall comprise of "two- envelop" system comprising a technical bid and a financial bid. Respective weights shall be allocated for technical criteria including total capacity and value addition targets, and amount of base cash-subsidy sought (per KWh ACC sold) under the financial criteria as shall be specified in the RFP.

5. Scheme Parameters: Incentive to the beneficiary Firms

5.1 The amount of subsidy to be disbursed would be calculated as following: Applicable subsidy amount per kilowatt hour **X (multiplied)** Percentage of value addition achieved during the period **X (multiplied)** Actual sale of Advanced Chemistry Cells (in KWh), as shall be specified in the RFP.

5.2 Incentive disbursement shall commence once the committed domestic value addition and actual sale of the ACCs begins.

5.3 The amount of cash subsidy to be distributed to the beneficiary firm shall be disbursed quarterly.

5.4 The actual subsidy disbursement to the Beneficiary Firm shall be Capped at 20% of the ACC Sale Price (Net of GST) i.e of the effective total turnover (Net of GST) on account of sale of ACC's manufactured and sold by the beneficiary firm during the subsidy disbursement period as per the provisions to be specified in the RFP.

5.5 The incentive claimed under this scheme will in no way debar/restrict for any incentive to be claimed under Faster Adoption and Manufacturing of (Hybrid&) Electric Vehicles in India (FAME-II) or PLI scheme for Automobile and Auto components (of Department of Heavy Industry) where ACC may be used as a part of the end product.

5.6 In-case of any breach of the commitments as submitted in the RFP, suitable penalty provisions will be specified in the RFP to ensure sincerity in the commitment of manufacturers.

6. Scheme Parameter: Fund allocation

6.1The total incentive pay out over the period of 5 yearsof the Scheme will be Rs. 18,100 crore.

6.2 The breakup of fund allocation year wise, for the scheme's duration is tabulated below –

(All amounts are in Rs. Crore)

Budgetary Provision	FY	2022-23	2023-24	2024-25	2025-26	2026-27	2027-28	2028-29	Total
	Subsidy (INR Cr)	Setting Up of Manufacturing Facilities		2700	3800	4500	4300	2800	18100

7. Empowered Group of Secretaries (EGoS)

7.1 EGoS chaired by Cabinet Secretary will monitor the PLI scheme, undertake periodic review of the outgo under the scheme, and take appropriate action to ensure that the expenditure is within the prescribed outlay. In addition, EGoS shall be fully empowered to make any changes required in the modalities of the scheme subject to the condition that the overall financial outlay remain within ₹ 18,100 crore.

8. Monitoring Mechanism:

Following parameters would be construed as the basis to monitor the disbursal of the incentive to the beneficiary firm:

8.1 Minimum Advanced Chemistry Cells ("ACC") manufacturing capacity by the beneficiary firm: The beneficiary firm shall setup a manufacturing unit (hereinafter referred to as the "Mother Unit") ensuring mandatory investment per ACC GWh committed capacity under single-roof structure within 2 Years.

8.2 The beneficiary firm shall implement the committed ACC capacity and overall value addition as per the proposal submitted by the beneficiary firm in its bid and awarded thereof with at-least 5 GWh of ACC manufacturing facility with minimum value addition as defined hereunder within 5 Years.

8.3 Value addition shall be construed as the percentage of manufacturing activity (manufacture ACC) being undertaken in India, by the beneficiary firm either on its own or through ancillary units or via domestic manufacturers. The manufacturers will be asked to give a Statutory Auditor's certificate to validate the same in support of claims. The following parameters may be considered to calculate the value addition in India:

(i) Minimum value addition by the beneficiary firm: To be eligible for disbursement of subsidy, the beneficiary firm shall ensure an overall value addition of at-least 60% of the ACC being sold within 5 Years. While the beneficiary firm would at-least have to set-up the ACC assembly facility with a minimum value addition of 25% at the Mother Unit, under single-roof structure within 2 Years. The cash-subsidy disbursement to the beneficiary firm would begin once the beneficiary firm has set-up ACC assembly facility and the value addition by the Mother Unit exceeds the aforesaid minimum threshold of 25%. The beneficiary firm shall not be eligible for availing any incentives on undertaking mere trading of finished ACCs from the Mother Unit or on not adhering to the aforementioned criteria subject to other conditions prescribed under the Programme.

(ii) Change in HSN at 6-digit level: The minimum value addition should be achieved as a result of change in a HSN (as per the Customs Tariff Act, 1975) at the six-digit level (of the final product manufactured vis-à-vis the goods procured for the manufacturing activity) on account of manufacturing activity undertaken by the eligible unit, ancillary unit or by the domestic manufacturer, respectively.

(iii) The final process of manufacture is performed in India. Reference to the term "manufacture" may be drawn from section 2(72) of the Central Goods and Services Tax Act, 2017. In terms of said section,

"manufacture" means "processing of raw-material or inputs in any manner that results in emergence of new product having a distinct name, character and use".

(iv) In other words, to meet the criteria for the value addition, the goods should be manufactured in terms of the above definition, along with the change in HSN at 6-digit level as per Customs Tariff Act by the Mother units, the ancillary units or by the domestic manufacturer respectively.

(v) Value addition (Similar procedure has been prescribed by the Central Government in the Notification No. 01/2010 – Central Excise, dated 06 February 2010) in respect of the goods (i.e. ACC) may be denominated as the ratio of "actual value added" to the sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of the said goods (ACCs), excluding indirect taxes, if any paid on the goods. It may be expressed as the percentage of manufacturing activity being undertaken in India, either on its own or ancillary units or through domestic manufacturers. The "actual value added" may be calculated on the basis of financial records (including turnover reported in GST returns) as per the following formulae:

a. Sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of the said goods, excluding indirect taxes, if any, paid on the goods

b. Less: Cost of raw materials and/or packing materials consumed in the said goods (i.e in the final sale price of the goods sold) to be calculated in terms of generally accepted costing principles

c. Less: Cost of Material whose source of origin cannot be ascertained (beyond the prescribed threshold)

d. Less: Cost of fuel consumed, if eligible for GST input credit

e. Less: Expenses incurred in foreign currency for royalty or technical know-how as debited in the Income statement

f. Add: "Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers" attributable to sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of said goods

(vi) Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers' is 'actual value added' (as per the above formulae) by such units in relation to sale (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) considered by the mother unit (for computation of the 'actual cumulative value added' by the mother unit). The value (in absolute terms) of 'Actual value added by the ancillary units or domestic manufacturers' may be validated basis the statutory auditor's certificate received from the respective ancillary unit or domestic manufacturer.

(vii) The certificate from the Statutory Auditor is not required where value addition by the ancillary unit or the domestic manufacturer is less than 2% (viz. calculated as percentage of actual value added by domestic manufacturers to the sale value (net of returns, price adjustments, discounts, etc.) of ACCs manufactured by Mother unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period.

(viii) The ultimate onus to validate the value addition by ancillary units or domestic manufacturers would remain on the beneficiary firm.

(ix) The required value addition if achieved in one single integrated unit will also be acceptable.

(x) Additionally, where the eligible unit is also engaged in manufacture of battery packs and a value addition till the cell stage could not be determined with the abovementioned approach, the percentage of value added calculated (as above) should be reduced as would be enumerated in the RFP/bid documents. The beneficiary firms shall be submitting to the Government, the information pertaining to the fraction of battery pack in the total battery value produced in India.

9.1 The selected beneficiary firm will be required to provide documents as under and any other documents required in support of the claims:

a. Document issued by the concerned Director of Industries evidencing the commencement of commercial production

b. Certificate by a Statutory Auditor certifying the quantity and value of finished goods procured

c. Certificate by a Statutory Auditor certifying the breakup of the major components in the final value of finished goods sold (i.e ACC Batteries). The major components shall constitute all those components that account for more than 2% (viz. calculated as percentage of actual value added by domestic manufacturer to the sale value of ACC batteries manufactured by Mother Unit) or INR 200,000 (Gross amount), whichever is lower, in the corresponding period.

d. Certificate by Statutory Auditor certifying the reconciliation of value and quantity of ACCs manufactured, traded, sold as scrap, stock transferred and GST paid vis a vis the amount of reported in financial statements and GST returns.

e. Audited account for the relevant financial year

f. GST Audit Report for the relevant financial year for the company

g. Self-Certification by the Authorized Signatory of the beneficiary firm, claiming the intended end-use (Category Mobile & Stationary) of the ACCs sold under the Programme.

[F. No. 1 (05)/2019-AEI (19587)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SURENDER MAHADASAM Digitally signed by SURENDER MAHADASAM Date: 2021.06.10 16:45:07 +05'30'